



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276493
CG-DL-E-26092026-276493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4946]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4946]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5152(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2413(E) तारीख 12/05/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुराम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-544डीडी पर किमी. 54/500 से किमी. 55/000 तक अक्कम्मागरला मंदिर क्रॉसिंग रोड (एपी-(03)-248) और कल्याणदुर्ग सर्कल रोड (एपी-(04)-200) पर ब्लैक स्पाट्स का सुधार निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22/05/2026" को "आंध्र प्रभा" और "हन्स इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुरामू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-544डीडी पर किमी. 54/500 से किमी. 55/000 तक अक्कम्मागरला मंदिर क्रॉसिंग रोड (एपी-(03)-248) और कल्याणदुर्ग सर्कल रोड (एपी-(04)-200) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: अनंतापुरामू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कल्याणदुर्ग					
गांव का नाम: कल्याणदुर्ग					
1	325-एफ़1ए	निजी	एग्रीकल्चर	0.0809389	एम मल्लिकार्जुन स/ओ मुक्कन्ना , पि.हेच. नायडू , रामय्या नायडू , टी. श्रीनिवासुलु स/ओ टी देवेंद्र मंचीकंट्री वासुकि रानी व/ओ जि.पि. सुरेश
2	327-1बी2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0121408	एम वेंकटेशुलु स/ओ चिन्ना हनुमंथप्पा
3	328-ए2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0647511	एम नागलक्ष्मम्मा व/ओ चिन्ना हनुमंतु
4	328-सी2	निजी	एग्रीकल्चर	0.072845	एम नागलक्ष्मम्मा व/ओ चिन्ना हनुमंतु
5	335-2ए1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0283286	टी. पेन्नाक्का व/ओ रामंजिनेयुलु
Total				0.2590044	

[फा. सं. NH-15017/17/2025-P&M/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5152(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2413(E) Dated:12/05/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning etc.), Maintenance, management and Rectification of Black Spots at Akkammagarla Temple crossing road (AP-(03)-248) & Kalyanadurg Circle Road (AP-(04)-200) of NH-544DD in the stretch of land from Km. 54.500 to Km.55.000 in the district of Anantapuramu in the state of ANDHRA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Andhra Prabha**” and “**Hans India**” both dated Date:22.05.2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from anybody by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land Black Spots at Akkammagarla Temple crossing road (AP-(03)-248) & Kalyanadurg Circle Road (AP-(04)-200) of NH-544DD in the stretch of land from Km. 54.500 to Km. 55.000 in the district of Anantapuramu in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Anantapuramu		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kalyanadurg					
Village: Kalyanadurg					
1	325-F1A	Private	Agriculture	0.0809389	M Mallikarjuna S/o Mukkanna , P.H. Naidu , Ramayya Naiidu , T. SReenivasulu S/o T

					Devandra , Manchikantri Vasuki Rani W/o G.P. Suresh
2	327-1B2	Private	Agriculture	0.0121408	M Venkatesulu S/o Chinna Hanumanthappa
3	328-A2	Private	Agriculture	0.0647511	M Nagalakshamma W/o Chinna Hanumanthu
4	328-C2	Private	Agriculture	0.072845	M Nagalakshamma W/o Chinna Hanumanthu
5	335-2A1	Private	Agriculture	0.0283286	T. Pennakka W/o Ramanjineyulu
Total				0.2590044	

[F. No. NH-15017/17/2025-P&M/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director